न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/23 निर्णय दिनांकः 7-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2023/179)

1. भादरराम पुत्र श्री भोजाराम जाति ओड निवासी चक 34 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जगदीश
3. रामेश्वरलाल } पुत्र श्री भोजराम जाति ओड निवासी चक 34 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. पार्वती देवी
5. नोरंग देवी
6. सोमा देवी
7. रूकमा देवी
8. लिछमा } पिसरान श्री भोजाराम जाति ओड निवासी चक 34 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. दलीपराम पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी भोजरासर हाल चक 34 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05—06—2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 05—06—2023 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि वाके खाजूवाला तहसील के चक 34 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 202/62 में किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 11, 20 कुल 1.7703 हैक्टर भूमि मुरब्बा नम्बर 202/63 में किला नम्बर 1 ता 15, 20 में कुल 3.9705 हैक्टर भूमि कुल 5.7408 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलांटस की माता सुगनी देवी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी। सुगनी देवी के फौत होने के बाद विरासतन उक्त भूमि अपीलाट्रा के नाम दर्ज होने की कार्यवाही विचाराधीन है। मौके पर ढाणी व पानी की कुण्डी बनी हुई है। अपीलांटस की धारण की उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 202/62 की भूमि मीडियम पेच आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध थी। जिसके लिए अपीलांटस व माता ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो लंबित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा मुरब्बा नम्बर 202/62 में किला नम्बर 4 ता 8, 12 ता 19, 21, 22 ता 25 की कुल 17.10 बीघा भूमि का आवंटन गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत अपीलांट की प्रथम वरियता बनती थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 27.03.2023 को मु.नं. 202/62 में 17.10 बीघा भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जहां से दिनांक 27.03.2023 को मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार खाजूवाला को प्रेषित कर रिपोर्ट मांगी गई जिस पर हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार ने रिपोर्ट मय नक्शा कर अधूरी रिपोर्ट भेजी जिसमें अपीलांट्स की माता सुगनी देवी का पूर्व में ही फौत हो चुकी थी। मृतक के विरुद्ध, आदेश पारित किया है। जिसमें मु.नं. 202/62 के सभी खातेदारो की रिपोर्ट की गई है। मीडियम पेच का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को कब भेजा गया इसका भी उल्लेख नही है। सीधे ही कार्यालय टिप्पणी में जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांटस की माता सुगनी देवी का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित था सीगेदार से रिपोर्ट ही नही ली गई ना ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया ना ही पत्रावली बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार से प्रपत्र आने पर दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

11–05–2023 को कार्यालय टिप्पणी आवंटन बाबू द्वारा की गई और बिना चिपते काश्तकारो को सूचना दिये बिना पैडिंग प्रार्थना पत्र की जांच किये आवंअन नियमो के विपरीत जाकर बिना आवंटन के ही चालान जारी करने के आदेश पारित कर दिये गये। उक्त तमाम कार्यवाही मैलाफाइड इन्टेशन से रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तथा बैक डेट में चालान जारी कर दोषपूर्ण आवंटन बिना आदेश के कार्यवाही है। पत्रावली कार्यालय टिप्पणी के बाद दिनांक 02–06–2023 को पेशी में ली गई तथा पत्रावली आईन्दा दिनांक 05–06–2023 को पेश होने का लिखा जाकर बिना आवंटन आदेश के और दिनांक 06–06–2023 को ही आवंटन पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है। जो आवंटन अधिकारी की घोर अनियमितता को दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही मीडियम पेच आवंटन नियम के विपरीत की गई है। अपीलांट को कभी नोटिस दिया ही नही। अपीलाटस की माता सुगनी देवी की जगह किसी सुमित्रा देवी को माता मानकर नोटिस देना बताया है। जबकि अपीलांटस की माता की उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत प्रथम वरियता बनती थी। अपीलांटस व उनकी माता हमेशा से ही उक्त भूमि को लेना चाहते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मिलीभगत कर उक्त आवंटन अपने पक्ष में करवाया है। अंतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–06–2023 निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस की प्रथम वरीयता मानकर उक्त भूमि अपीलांट को आवंटन करने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 05–06–2023 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होने आगे कथन किया कि वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का वर्णन किया गया है। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी एवं समस्त चिपते काश्तकारों को जरिये नोटिस सूचित भी किया गया था। अपीलाधीन अराजी बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलाधीन अराजी शुद्ध रूप से अराजीराज होने, किसी प्रकार के स्थगन से प्रभावित नहीं होने तथा किसी प्रायोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की स्थिति में ही वादगत भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट को पूर्व में स्मालपेच आवंटन में भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा अपीलांट अराजी जैर का आवंटन करवाने के लिए हकदार नही होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 (1) पेज 185 तथा आरबीजे 1998 पेज 78 प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण मीडियम पेच में भूमि आवंटन से संबंधित है इसके लिए मीडियम पेच भूमि आवंटन से संबंधित प्रावधान का अवलोकन करना होगा। राजस्थान उपनिवेशन नियम (इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन व विक्रय) नियम 1975 के नियम 14–ए के अनुसार–

Allotment of Medium patch :- {1} Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area at the price of special allotment for land of a similar soil class in the neighbourhood.

Provided that if more than one tenant of the adjoining land apply for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit.

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of. medium patch, the allotting authority may allot such medium patch to the tenure tenants of the same chak or of the adjoining chak subject to the ceiling area.

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन पश्चात हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

ए– क्या अपीलांट प्रश्नगत भूमि का चिपता काश्तकार है अथवा नही?

बी– क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी अथवा नही?

सी– क्या अपीलाधीन आवंटन आदेश से पूर्व अपीलांट का कोई आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेडिंग था अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट का रकबा चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 202/62 व 202/63 में स्थित है। जिससे यह साबित है कि अपीलांट आवंटित रकबे का चिपता काश्तकार है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र कमाक 1113 दिनांक 11–05–2023 द्वारा अपीलाधीन रकबे के आवंटन हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। तहसीलदार द्वारा इस सार्वजनि सूचना की चस्पांदगी करवा अपने पत्रांक 1292 दिनांक 18–05–2023 द्वारा पालना रिपोर्ट भिजवा दी गई थी।

इसके साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चिपते काश्तकारो को जरिये रजिस्टर्ड डाक व्यक्तिगत रूप से नोटिस भिजवाया जाना भी प्रकट होता है। यद्यपि माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरआरटी 2016 (1) पेज 185 के अनुसार मीडियम पेच आवंटन में व्यक्तिगत नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नही है। तथापि समस्त चिपते काश्तकारो की सम्यक तामील/सूचना हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत नोटिस भी भिजवाया जाना प्रकट होता है। अपीलांट का एतराज यह था कि उसकी माता का नाम सुगनी देवी पत्नी भोजाराम है जबकि रजिस्टर्ड डाक में नाम सुमित्रा पत्नी भोजाराम अंकित किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि प्रथम तो उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में व्यक्तिगत नोटिस भिजवाया जाना अनिवार्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवा दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी चिपते काश्तकारो को व्यक्तिगत नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये उनमें से किसी एक पक्षकार के नाम की त्रुटि के आधार पर समस्त तामील प्रकिया को दुषित/असम्यक होने की उपधारणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा आवेदन पत्र की फोटो प्रति) प्रस्तुत नही किया जिससे कि यह साबित होता हो कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन रकबे के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन किया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 11–05–2023 में स्पष्टतः अंकित है कि इस रकबे का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत रकबे के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। एक सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट इस रकबे को आवंटित करवाने हेतु एक मात्र आवेदक था।

नियम 14–ए के अनुसार *"यदि चिपते हुए काश्तकार द्वारा मीडियम पेच भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन नही किया जाता है तो आवंटन अधिकारी ऐसी भूमि को उसी चक अथवा चिपते हुए चक के काश्तकार को आवंटित कर सकेगा।"*

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से इस प्रकरण में किसी भी चिपते काश्तकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवंटित करवाने हेतु आवेदन किया जाना साबित नही होता है। इस सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन एकमात्र आवेदन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन प्रकिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन भूमि का मीडियम पेच में आवंटन किया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि न होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला का निर्णय दिनांक 05–06–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर